

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014

प्रस्तावना:- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता राशि दिये जाने के संबंध में तीन अलग अलग योजनाएं, समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना, दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना एवं मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं की समान प्रकृति होने के कारण हिताधिकारी को उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु अलग—अलग आवेदन करने पड़ते हैं। अतः आवेदन में होने वाले असुविधा को समाप्त कर प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित तीनों योजनाओं को सम्मिलित करते हुये उपरोक्त शीर्षक से एक ही योजना बनाये जाने का निर्णय मण्डल द्वारा लिया गया है।

- 1.(i) यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत “हिताधिकारी के लिए सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) सहायता योजना” कहलायेगी।
- (ii) यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावी होगी।
- (iii) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (क) सपष्टित राजस्थान नियम 2009 के नियम 57 व 58 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2013 से लागू होगी।
- (iv) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित है तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है तथा उन्हे मण्डल द्वारा परिचय पत्र जारी किया गया है और वे अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं।

(2) परिभाषाएः— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (i) “अधिनियम” से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है।
- (ii) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 18 की उप—धारा (1) के तहत गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।
- (iii) “सचिव” से अधिनियम की धारा 18 की अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।
- (iv) “दुर्घटना” से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते समय, कार्य स्थल से घर जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है।
- (v) “आश्रित” से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार आश्रित माना जावेगा—
 - पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
 - अवयस्क पुत्र
 - अविवाहित पुत्री
 - पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
 - आश्रित माता—पिता
- (vi) “परिवार” से आशय निर्माण श्रमिक के पति / पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता—पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जायेगे।

परिभाषित न किए गए हैं, शब्दों का निर्वचन —उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(3) योजना का विवरण:—

- (i) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(क) सपष्टित राजस्थान नियम 2009 के नियम 57 व 58 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में सहायता दिए जाने हेतु यह योजना लागू होगी। इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिकों या उनके नाम

निर्देशित व्यक्तियों अथवा आश्रितों को, हिताधिकारी का अंशदान नियमित रूप से जमा पाए जाने की स्थिति में प्राप्त हो सकेगा।

- (ii) **पात्रता**—(1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
(2) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में, नियमित अंशदान जमा कराने की समय—सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)
(iii) **उत्तराधिकारी** —हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बने राजस्थान नियमों के तहत नाम निर्देशित किया गया नामिति तथा नामिति नहीं होने की स्थिति में उसका पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर अवयस्क पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियों, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा।
- (4) **देय सहायता राशि**—हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगी:—
(i) दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹ 0 5,00,000/-
(ii) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर ₹ 0 3,00,000/-
स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है।
(iii) दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर ₹ 0 1,00,000/-
स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है।
(iv) दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर ₹ 0 20,000/- तक
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5 दिवस तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती रहने से है। गंभीर रूप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र के आधार पर किया जावेगा।
(v) दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर ₹ 0 5000/- तक
साधारण रूप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती होने से है।
(vi) निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर ₹ 0 75,000/-
- नोट:**—इस योजना में देय सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होने वाली सहायता से अतिरिक्त होगी अर्थात् मुख्यमंत्री सहायता कोष सहायता के साथ साथ इस योजना का लाभ भी देय होगा।
- (5) **आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया:—**
(i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामिति/उत्तराधिकारी एवं घायल होने पर स्वयं हिताधिकारी संबंधित जिला श्रम कार्यालय में आवेदन (संलग्न प्रारूप) करेगा।
(ii).a. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामिति/उत्तराधिकारी को ₹ 0 10,000/- की अन्त्येष्टि सहायता आवेदन करने की दिनांक से 7 दिवस में दी जावेगी। यह राशि हिताधिकारी के आश्रित/नामिति को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि में से ही देय होगी। मृत्यु के उपरान्त संपन्न होने वाले सामाजिक रीतिरिवाजों एवं स्थानीय प्रथाओं के प्रति परिवार को जागरूक बनाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए परिवार की परिस्थितियों पर विचार किया जाकर दुर्घटना में मृत्यु की दशा में देय क्षतिपूर्ति राशि को एफडी में जमा करवाये जाने के बारे में श्रम विभाग के जिलास्तरीय कार्यालय में पदस्थित उच्चतम अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।
b. मृत्यु की दशा में सहायता राशि जिस आश्रित/नामांकित व्यक्ति को देय है, उसके द्वारा इस आशय का एक शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त राशि का उपयोग मृतक हिताधिकारी के सभी आश्रितों के हितार्थ किया जावेगा।
(iii) हिताधिकारी के घायल होने पर सहायता राशि हिताधिकारी द्वारा आवेदन करने पर आवेदन की पूर्तियां सही पाए जाने पर 7 दिवस में स्वीकृत कर दी जायेगी।
(iv) हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन मृत्यु की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में स्वीकार्य होंगे। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।

- (v) हिताधिकारी द्वारा दुर्घटना में घायल होने की दशा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन दुर्घटना तिथि या अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से अधिकतम 6 माह में किया जा सकेगा। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।
- (vi) हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में, नियमित अंशदान जमा कराने की निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा से 90 दिन तक का विलम्ब होने तक, योजना की अन्य शर्तें पूरी होने पर सहायता दी जा सकेगी। यह शिथिलता भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् योजना प्रारंभ होने की तिथि से, ऐसे मामलों में भी लागू होगी, जिनमें आवेदन अंशदान जमा नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं अथवा विचाराधीन है। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा जोड़ा गया)।
- (6) **सहायता राशि के लिए अपात्रता:**— आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु या घायल होने की स्थिति में सहायता राशि देय नहीं होगी।
- (7) **सक्षम अधिकारी:**— मुआवजा राशि की स्वीकृति के लिये श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित उच्चतम अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।
- (8) **विसंगति का निराकरण:**—योजना में उल्लिखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

नोट:—इस योजना के लागू होने की दिनांक से मंडल द्वारा संचालित समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना, दुर्घटना में (मृत्यु व घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना एवं अत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजनाएँ समाप्त हो जावेगी।